भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 3431
गुरुवार, 20 मार्च, 2025 (29 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत विमानपत्तन

3431. श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देशभर में विमानपत्तनों का प्रचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अंतर्गत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत किन-किन विमानपत्तनों को संचालित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त विमानपत्तनों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत संचालित किए जाने के बाद राजस्व सृजन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): वर्तमान में, देश में चौदह (14) हवाई अड्डे सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत संचालित किए जाते हैं। इनमें से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के आठ (8) ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे अर्थात् दिल्ली, महाराष्ट्र में मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद, राजस्थान में जयपुर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, असम में गुवाहाटी, केरल में तिरुवनंतपुरम और कर्नाटक में मंगलुरु को पीपीपी के तहत संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पट्टे पर दिया गया है। शेष छह (6) हवाई अड्डे अर्थात कर्नाटक में बेंगलुरु, तेलंगाना में हैदराबाद, केरल में कोचीन और कन्नूर, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर और गोवा में मोपा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पीपीपी के तहत विकसित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं।

(ग): वर्तमान में, राजस्थान में जयपुर हवाई अड्डे का संचालन पीपीपी मोड के तहत किया जाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसार, राजस्थान में जोधपुर और उदयपुर सहित एएआई के 25 हवाई अड्डों को वर्ष 2022 से 2025 तक पट्टे पर देने के लिए चिह्नित किया गया है।

(घ): एएआई के पीपीपी हवाईअड्डों पर राजस्व हिस्सेदारी/प्रति यात्री शुल्क (पीपीएफ) व्यवस्था ने एएआई के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, साथ ही एएआई को इन हवाईअड्डों पर कोई भी व्यय करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण में वित्तीय स्थिरता आई है और देश में हवाईअड्डों के विकास/उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एएआई को वित्त वर्ष 2023-24 तक दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों के रियायतग्राही से राजस्व

हिस्सेदारी के रूप में लगभग 37797 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, शेष छह एएआई हवाईअड्डों के निजी साझेदारों ने जनवरी, 2024 तक प्रति यात्री शुल्क (पीपीएफ) के रूप में एएआई को लगभग 2560 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। एएआई को पीपीपी से पहले इन हवाईअड्डों पर एएआई द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम शुल्क के रूप में इन छह एएआई हवाईअड्डों के निजी साझेदारों से लगभग 5260 करोड़ रुपये की राशि भी प्राप्त हुई है।

******